कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर(उपनिदेशक), सूचना प्रौद्यौगिकी एवं संचार विभाग धौलपुर

क्रमांकः–DOIT / लेखा / 2017–18 / 835-39 दिनांकः 10/08 / 2017

दर अनुमोदन हेतु मॉग पत्र

राजस्थान इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक F4.9(262)/RISL/Tech/MISC/2015/17173017 दिनांक 23 / 06 / 2017 एवं क्रमांक F4.9(262)/RISL/Tech/MISC/2016/17199009 दिनांक 18 / 07 / 2017 के द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये प्रशिक्षण बजट मद "Capacity Building and Entrepreneur Development Training Programme (EDP) CSC 2.0" हेतु राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड, धौलुपर को बजट आवन्टित हुआ है जिसके अन्तगर्त जिले में ब्लॉक एवं जिला मुख्यालय पर ई–मित्र कियोस्क को प्रशिक्षण हेतु प्रोजेक्टर, माईक, स्टेशनरी (नोटपेड, पेन, फोल्डरर्स) एवं रिफरेशमेन्ट आदि कार्यो हेतु व्यय किया जाना है। अतः निम्न कार्यो हेतु इच्छुक निविदादाताओं से न्यूनतम दरों सहित निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं।

क्रमांक	सामग्री (प्रति प्रशिक्षण)	सामग्री की मात्रा	अधिकतम मात्रा (प्रति प्रशिक्षण)
01.	प्रोजेक्टर (किराये पर)	1	1
02.	माईक मय स्पीकर (किराये पर)	1	1
03.	नोट पेड (प्रति प्रशिक्षणार्थी)	1	50 लगभग
04.	पेन (प्रति प्रशिक्षणार्थी)	1	50 लगभग
05	फोल्डर्स (प्रति प्रशिक्षणार्थी)	1	50 लगभग
06	अल्पाहार (प्रति प्रशिक्षणार्थी)	1	50 लगभग

निविदा निम्न शर्तो के अधीन रहेगी :–

1. निविदादाता से सीलबंद निविदा (आवेदन पत्र) दिनांक 11 / 08 / 2017 से दिनांक 17 / 08 / 2017 तक कार्यालय समय शाम 6 बजे तक स्वीकार की जावेंगीं व दिनांक 18 / 08 / 2017 को मध्यान्ह पश्चात 02 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगीं।
2. निविदा की विस्तृत शर्तें कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस व कार्यालय समय में देखी जा सकती हैं।
3. निविदा हेतु एक सादा कागज पर अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम आवेदन लिख कर एवं निविदा संबंधित आवश्यक कागज (दस्तावेज) बंद लिफाफे में कार्यालय में जमा करावें। लिफाफे के ऊपर **प्रशिक्षण हेतु निविदाऐं** एवं अपना नाम, पता व मोबाईल नं0 अवश्य लिखें।
4. निविदा दरे अनुमोदन उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिये मान्य होगी।
5. उक्त सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर सामग्री को बदल कर उचित गुणवत्ता की सामग्री उपलब्ध करवानी होगी। अन्यथा उक्त खराब गुणवत्ता की सामग्री का भुगतान देय नही
6. उक्त सामग्री प्रशिक्षण स्थल पर देरी से पहुचाने की स्थिति में फर्म से नियमानुसार कटोती की जावेगी।
7. निविदादाता द्वारा राशि रु 500 /– के स्टांप पेपर पर कार्यालय द्वारा अनुबंध किया जावेगा। अनुबंध के पश्चात ही यह कार्यादेश लागू माना जावेगा।
8. अनुबन्धकर्ता / फर्म को प्रति माह हुये प्रशिक्षण का बिल प्रस्तुत करना होगा। जिसमें नियमानुसार करो की कटोती की जावेगी।
9. प्रशिक्षण स्थल पर उक्त सामग्री को पहुॅचाने का पृथक से भाडा देय नहीं होगा।

10. किसी भी शर्त में अस्पष्टता/विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के नियमानुसार एवं RTPP Act 2012 & Rule 2013 का पालन किया जावेगा।
11. इस कार्यालय के पास किसी भी समय उक्त अनुबन्ध की शर्तों को बदलने/अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. इस हेतु वेबसाईट dholpur.rajasthan.gov.in एवं ई प्रॉक्यूरमेंट पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in पर जानकारी देखी जा सकती है।

3singh
उपनिदेशक (ए0सी0पी),
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
धौलपुर

क्रमांकः—DOIT/लेखा/2017—18/835-39 दिनांकः 10/08/2017

प्रतिलिपी सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु :—

1. श्रीमान प्रबंध निदेशक, राजस्थान इंफो सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि0, जयपुर।
2. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, धौलपुर को प्रचार प्रसार हेतु।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला कलक्ट्रेट/जिला परिषद/तहसील/जिला कोषागार।
4. प्रोग्रामर धौलपुर/बाडी/बसेडी/राजाखेडा/सैंपउ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

3singh
उपनिदेशक (ए0सी0पी),
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,
धौलपुर